न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 34/2017 **दायरा दिनांक : 08.03.2017**

उनवान

माणकचन्द पुत्र श्री घासीलाल, आयु 59 वर्ष, जाति ओझा, निवासी मुंडियर, तहसील शाहबाद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— लालाराम पुत्र श्री शिवलाल, आयु 60 वर्ष, जाति अहीर, निवासी मुंडियर, तहसील शाहबाद, जिला बारां

2— गोपीलाल पुत्र भंवर लाल, आयु 50 वर्ष, जाति कलाल, निवासी मुंडियर, तहसील शाहबाद, जिला बारां

3— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक अपीलांट
की ओर से
श्री बालमुकुन्द गूर्जर अभिभाषक रेस्पोडेंट
की ओर से

निर्णय **दिनांक : 02.01.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद के प्रकरण संख्या – 86/2006 निर्णय व डिक्री दिनांक 16.03.2007 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट लालाराम ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ग्राम मुण्डियर में खसरा नम्बर 212 रकबा 3 बीघा आराजी स्थित है । जिस पर वादी बहैसियत मालिक और काबिज काश्त है । आराजी नेशनल हाईवे से लगी हुई है । वादी के अलावा अन्य किसी का इस आराजी में कोई हिस्सा नहीं है । इस आराजी पर वादी मक्का, धान आदि की फसल करता है एवं कृषि उपज के लिए काम में लेता है इसका 0.100 हेक्टर आराजी फोरलेन हेतु अवाप्त कर वादी को मुआवजा दिया जा चुका है । प्रतिवादी नं. 2 इस पर जबरन कब्जा करना चाहता है। सन् 2005 में प्रतिवादी क्रम 1 ने जबरन कब्जा 10 बिस्वा आराजी पर कर अवैध रूप से दो कमरे, एक रसोई, एक बरामदा और इसके दोनों तरफ 10 बिस्वा रकबे में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करवा लिया है । जब कब्जा छोड़ने को कहा तो मना कर दिया । अतः दावा वादी स्वीकार कर प्रतिवादी नम्बर 1 को 10 बिस्वा आराजी से बेदखल कर कब्जा संभलाया जाये और प्रतिवादी नम्बर 1 और 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.03.2007 को दावा वादी डिक्री किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित बिन्दुओं पर तनकीयात कायम नहीं की है । तनकीयात की विधि सम्मत विवेचना नहीं की है । तनकी नम्बर 1 का निर्णय गलत रूप से वादी के पक्ष में किया है । अपीलांट को धारा 91 के तहत नोटिस दिया गया है । यह नोटिस खसरा नम्बर 2 रकबा 1 बीघा के लिए है जिस पर अपीलांट का निर्मित आवास एवं कब्जा है । मौका रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है । खसरा नम्बर 2 की आराजी पर सरकारी स्कूल बना हुआ है और उपस्वास्थ्य केन्द्र को भूमि आवंटित हुई है । रेस्पोडेंट नम्बर 1 का खसरा नम्बर 2 की आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है । इस आराजी पर कभी काश्त नहीं हुई है । अपीलांट ने एक तरफा निर्णय व डिक्री को निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसको निरस्त नहीं किया गया। अपीलांट मनोरोग से ग्रसित था इस कारण अपील पेश करने में विलम्ब हुआ है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया कि अपीलांट मनोरोग से ग्रसित हो गया इस कारण अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं मिली । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट का सरकारी आराजी पर कब्जा है । रेस्पोडेंट के खाते की आराजी पर नहीं है । रेस्पोडेंट को जो

आराजी आवंटन हुई है वह आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं थी। उस पर आबादी बसी हुई थी । मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है । स्पष्ट निर्णय नहीं पारित किया गया है । तनकीयात की विधि सम्मत विवेचना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट के खाते में है । अपीलांट को उस पर जबरन कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं, निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी सम्वत 2061–64 के अनुसार नया खाता संख्या 275 की आराजी खसरा नम्बर 2/2 वादी लालाराम के खाते में दर्ज है । नकल जमाबंदी सम्वत 2061–64 के अनुसार खसरा नम्बर 2 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा आराजी सरकार के खाते में दर्ज हे । बयान लालाराम पी डब्ल्यू 1 कराये गये है।

अधीनस्थ न्यायालय ने सन् 2007 में निर्णय व डिक्री जारी की है यह निर्णय व डिक्री एक तरफा पारित किया गया है । अपीलांट माणक चन्द को नोटिस की तामील हो गयी है और उनकी ओर से अधीनस्थ न्यायालय में वकालतनामा भी पेश किया गया था। इसके उपरान्त दिनांक 06.03.2007 को प्रतिवादीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है । एक तरफा कार्यवाही निरस्त करने हेतु जो प्रार्थना पत्र अपीलांट की ओर से आर्डर 9 नियम 13 सी पी सी का

पेश किया गया है और इस प्रार्थना पत्र को दिनांक 10.05.2007 को खारिज किया गया है । अपीलांट ने इसके खिलाफ कोई रिवीजन पेश नहीं की है और अब सन् 2017 में यह अपील पेश की है जो कि 10 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई है । अपील में यह कथन किया गया है कि अपीलांट मनोरोग से ग्रसित था परन्तु अपने पक्ष के समर्थन में कोई चिकित्सीय प्रमाण पेश नहीं किया है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के खाते में दर्ज खसरा नम्बर 2/2 से प्रतिवादी को बेदखल करने का आदेश पारित किया है और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जो रेकार्ड नकल जमाबंदी सलंग्न है उसके अनुसार खसरा नम्बर 2/2 की 3 बीघा आराजी उनके खाते में दर्ज है । प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के खाते की नहीं है वरन सरकारी सिवाय चक है जिस पर उनका कब्जा होने के कारण उनके खिलाफ 91 की कार्यवाही की जा रही है परन्तु वादीगण के पक्ष में जो बेदखली और स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की गई है वह वादी के खाते में दर्ज आराजी के लिए है न कि सरकारी सिवाय चक आराजी के लिए । इस प्रकार गुणावगुण के आधार पर भी अपीलांट प्रतिवादी का कथन विचारणीय नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने जो तनकी नम्बर 2 कायम की है वह प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार घोषणा के बाबत है और माननीय राजस्व मण्डल की फुल बेंच के निर्णय के अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कृषि भूमि में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं और इस प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण बात जो विचारणीय है वह यह है कि अपील गम्भीर रूप से अवधि बाधित है और विलम्ब के जो कारण बताये गये हैं, उनके समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपील गम्भीर रूप से अवधि बाधित होने एवं गुणावगुण के आधार पर भी तथ्यपूर्ण व सारगर्भित नहीं होने के कारण खारिज की जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.03.2007 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक **02.01.2018** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा